मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

क्रमांक /एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.6/2017/2048-49 भोपाल दिनांक 13/04/2017

प्रति,

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र.

2. द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा म. प्र.

विषयः अन्य राज्य में पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना ।

संदर्भः लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2—13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.—25 दिनांक 24—1—2017 में शामिल **सेवा क्रमांक 25.6** के संबंध में निर्देश ।

1. **सेवा का उद्देश्यः—** अन्य राज्य में पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना ।
2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमाः—** रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 15 कार्य दिवस
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :—** आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :—** आवेदक मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत होना चाहिए ।
5. **आवश्यक दस्तावेज :—**
   1) पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
   2) स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (यदि उपलबध हो तो)।
   3) यदि आवेदक द्वारा प्रोविजनल पंजीयन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है तो इंटर्नशीप ट्रांसफर आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।
   4) ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बांड के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।

      यदि आवेदक मध्य प्रदेश के शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से वर्ष 2009 के उपरांत एमबीबीएस अथवा पी. जी. उपाधि प्राप्त की है तथा यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बांडेड है तो उक्त बांड की पूर्णता के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बांडेड न होने के संबंध में प्रमाण की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।

      (क) यदि चिकित्सक मध्य प्रदेश शासन के प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बांडेड है तो उक्त बांड की पूर्णता के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वैद्य प्रमाण पत्र की सूची—

         (i) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं /संचालनालय चिकित्सा शिक्षा / संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

         (ii) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

         (iii) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा बांड की राशि जमा करने हेतु आदेश एवं उसके साथा जमा की गई राशि की रसीद ।

(ख) यदि चिकित्सक मध्य प्रदेश शासन के प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बांडेड नही है तो उक्त के के संबंध में वैद्य प्रमाण पत्र की सूची–

(i) ऑल इंडिया कोटे से प्रवेश लेने संबंधी सीट अलॉटमेंट की छायाप्रति

(ii) एनआरआई कोटे से प्रवेश लेने संबंधी सीट अलॉटमेंट की छायाप्रति

(ग) यदि चिकित्सक द्वारा एमबीबीएस मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस अथवा पी. जी. उपाधि प्राप्त की है तो उन्हें उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

6. पदाभिहित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 अनुसार आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंडिका –5 में दर्शाए गए दस्तावेजों के सहित आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन ही पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में दी जावेगी ।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा ।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाईल नम्बर एवं ईमेल एड्रेस भी भरा जावेगा।

6.5 आवेदन करते समय यदि आवेदक का आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस /OTP से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक / पहचान संबंधी) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी ।

6.6 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम –16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा । एक ही आवेदन का पृथक–पृथक पंजियों में इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

6.7 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथा शीघ्र परन्तु निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

6.8 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को उसके भरे गये मोबाइल नम्बर पर एस. एम. एस. के माध्यम से दी जावेगी ।

7. आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

7.1 आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा । दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस सेवा केन्द्र /कियोस्क के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा ।

7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिया जावे ।

7.3 ऑनलाइन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक एवं पहचान संबंधी) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी । पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय–सीमा साफ्टवेयर द्वारा तैयार पावती पर अंकित होगी ।

7.5 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑन लाईन उपलब्ध हागा ।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका–8 में बताई गई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और समय–सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी ।

7.7 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा । इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट /पोर्टल पर संधारित की जायेगी । यह कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अंदर ही संपादित की जाएगी ।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

8.1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाईन आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, कियोस्क एवं लोक सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत कर सकेगा ।

8.2 आवेदन प्राप्त होने पर परिषद की एनओसी शाखा द्वारा अधिकतम 03 कार्य दिवस में आवेदन का परीक्षण /सत्यापन कर लेखा शाखा की ओर शुल्क जमा करने हेतु प्रेषित करेगी।

8.3 परिषद की लेखा शाखा अधिकतम 02 कार्य दिवस में शुल्क जमा कर शिकायत शाखा की ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगी ।

8.4 परिषद की शिकायत शाखा अधिकतम 02 कार्य दिवस में शिकायत पंजी से सत्यापन कर आवेदन एनओसी शाखा की ओर आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत करेगी।

8.5 परिषद की एनओसी शाखा अधिकतम 03 कार्य दिवस में ऑन लाईन आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्रता के अनरूप पाए जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर पदाभिहित अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करेगी।

8.6 पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिकतम 05 कार्य दिवस में डिजिटल हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक के ईमेल पर ऑनलाईन भेजा जाएगा ।

8.7 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत अनापतित प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा ।

8.8 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन /सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट / पोर्टल पर संधारित की जायेगी ।

9. शुल्क –

9.1 अन्य राज्य में पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अप्रतिदेय (non refundable) पंजीयन शुल्क निम्नानुसार है :–

(i) पंजीयन शुल्क रू. 1500.00

9.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन पोर्टल शुल्क रूपये 50/– का भुगतान करना होगा ।

10. अपील –

आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :–

(1) आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
25.6	अन्य राज्य में पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं पदेन अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल	15 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा

रजिस्ट्रार 13/4/17
मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रमांक एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.6/2017/2050-54 भोपाल दिनांक 13/4/17

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
3. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कार्पोरेट पार्क , अरेरा हिल्स, एम पी नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
5. आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल ।

रजिस्ट्रार 13/4/17
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल